

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
12-10-23 को पेश हो ।

12-10-23 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवायी
गयी साथ 5-00 बजे चुके वी बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील
वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः
अदम हाजरी। अदम पेशी में वादी का
वाद खारिज किया जाता है
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम है।

12.10.23

उपखण्ड अधिकारी
खानगाह (अजमेर)

